संख्या-9/2026/138/81-7-2026-103(पर्या)/2007

प्रेषक,

चिरौंजी लाल,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 **लखनऊः दिनांकः 10 जून, 2026**

विषय- राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) / राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति (SEAC) की बैठकों हेतु बैठक फीस के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-997/पर्या०/सामान्य/2026, दिनांक 27 जनवरी, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तात्कालिक प्रभाव से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति (SEAC), उत्तर प्रदेश में नामित गैर सरकारी अध्यक्ष हेतु रू० 6,000/- प्रति बैठक (Sitting Fees) एवं सदस्यों हेतु रू० 5,000/- प्रति बैठक (Sitting Fees) भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-E-7-13-X-2026-27, दिनांक 05.06.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(चिरौंजी लाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- अध्यक्ष / सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण निर्धारण प्राधिकरण, उ०प्र० / राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, उ०प्र०, लखनऊ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in